न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
75/2018	21.08.2018	20/01/2025

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

1. हीरा पुत्र श्री नोपा उम्र 47 वर्ष,
2. रणजीत पुत्र श्री नोपा उम्र 65 वर्ष, समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री लिछमण जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. गुमानी पत्नी स्व० श्री गुलाब जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. देबूराम पुत्र श्री गुलाब जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
4. प्रकाशचन्द पुत्र श्री लिछमण जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
5. परमेश्वर पुत्र श्री सुखदेवा जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
6. राकेश पुत्र श्री डूंगरराम जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
7. विधाधर पुत्र गुलाब जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
8. विनोद पुत्र श्री डूंगरराम जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
9. विमला पत्नी श्री डूंगरराम जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
10. संतरा देवी पत्नी श्री लिछमण जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
11. सतीश पुत्र श्री डूंगरराम जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
12. सुनिल कुमार पुत्र डूंगरराम जाति खाती निवासी ग्राम हरसाया बढ़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान,
13. सीताराम पुत्र श्री गुलाब जाति खाती निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
14. गंगु पुत्र श्री लका जाति बलाई निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
15. पटवारी महोदय पटवार हल्का हरसावा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर
16. तहसीलदार महोदय, तहसील फतेहपुर प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित अधिवक्ता
श्री धन्नाराम सैनी – प्रार्थीगण की ओर से
श्री फूलचन्द थालोड़ -- अप्रार्थी संख्या 1, 6, 11, 12 की ओर से
श्री राजकुमार शर्मा – अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–20.01.2025

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 4.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.0200 हैक्टयर वाकै ग्राम हरसावा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका खाता आवेदकगण के नाम से बना हुआ है।

आवेदकगण के उक्त खेत खसरा नम्बर 205 के पूर्व दिशा में ग्राम हरसावा से ग्राम रिणू जाने वाले वाला कटाणी रास्ता अवस्थित है, जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है, उक्त कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 201/223, खसरा नम्बर 203 के मध्य में से होकर गुजरता है. आवेदकगण की उक्त कृषि भूमि में आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 201/223 की उत्तरी सींव पर कटाणी रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 201/223 के मध्य में से होता हुआ खसरा नम्बर 205 की उत्तरी सीमा में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है।

उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से 15 फीट चौड़ा मौजूद रहा है। आवेदकगण अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 204 व 205 में आवागमन पशु, वाहन आदि लाने–ले जाने हेतु उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते को जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। ही हमेशा से अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से अपने उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे है।

आवेदकगण के पास अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 204 व 205 में आवागमन हेतु उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है, उक्त रास्ता आवेदकगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु एक मात्र प्रचलित रास्ता है, अनावेदकगण संख्या 01 ता 13 खसरा नम्बर 201/223 के खातेदार है जिनके द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी वैध हक अधिकार के उक्त रास्ते को दिनांक 03.07.2018 से बंद कर दिया गया है तथा आवेदकगण व उसके परिवार वालो को उक्त रास्ते से आवागमन करने हेतु गलत रूप से रोक रहे है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नही है। अनावेदकगण 01 ता 13 के द्वारा उक्त रास्ता बंद कर देने की स्थिति में आवेदकगण अपनी उक्त कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर पा रहे है. तथा अपने वाहन, [illegible] आदि नही ले जा पा रहे है तथा काश्त का समय प्रारम्भ हो चुका है, उक्त रास्ते के [illegible] से आवेदकगण अपनी कृषि भूमि को काश्त नहीं कर पायेगे, [illegible] जिससे आवेदकगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति [illegible] सकेगी, ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता अनावेदकगण संख्या 01 ता 13 से [illegible] खुलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। आवेदकगण के द्वारा उक्त रास्ते को [illegible]मेशा अपने खेत में आने–जाने हेतु उपयोग–उपभोग में लिया है, इसलिये भविष्य में उक्त रास्ते के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हो, इसलिये इस रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। को कटाणी रास्ते के रूप में अंकन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 204 व 205 के पूर्व में खसरा नम्बर 203 अवस्थित है, ग्राम हरसावा से रिणू जाने वाला उक्त कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 201/223 के मध्य में से होता हुआ खसरा नम्बर 203 की उत्तरी सीव में प्रवेश करता है, तथा खसरा नम्बर 203 के मध्य से खसरा नम्बर 203 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होता हुआ रोणू गाँव की ओर चला जाता है, अनावेदक संख्या 14 खसरा नम्बर 203 का खातेदार है आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 204 व 205 की पूर्वी सींव के निकट का रास्ता यहीं है। आवेदकगण अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 204 व 205 की उत्तरी पूर्वी कोर्नर से 15 फीट चौड़ा रास्ता वैकल्पिक तौर पर खसरा नम्बर 203 में से भी लेने को तैयार है क्योंकि उक्त वैकल्पिक रास्ता भी प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 204 व 205 के काफी निकट है, तथा आवेदकगण के लिये सुविधाजनक भी रहेगा।

आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 204 व 205 वाकै ग्राम हरसावा बड़ा में आवागमन हेतु अनावेदकगण संख्या 01 ता 13 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 201/223 से अपने खेत खसरा नम्बर 205 की उत्तरी सींव तक 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है।, दिलवाया जावे अथवा वैकल्पिक तौर पर अनावेदकगण संख्या 14 के खसरा नम्बर 203 में हरसावा से रीणू जाने वाले कटाणी रास्ते से आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 205 की पूर्वी सीवं तक 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में हरे रंग से दर्शित किया गया है। आवेदकगण को दिलवाया जावें। जिसके लिये आवेदकगण नियमानुसार विधि की समस्त शर्तों की पालना करने हेतु तत्पर है तथा उक्त रास्ता आवेदकगण को दिलवाया जाकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु अनावेदकगण संख्या 01 ता 13 अथवा 14 को आदेशित किया जावे कि वे उक्त रास्ते को आवागमन हेतु सुचारू रूप से चालू रखे व अनावेदकगण को आवेदकगण के उक्त रास्ते से आवागमन करने में व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिबंधित किया जाना भी न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र 02/– रूपये के न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

इसलिये प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 व 05 में क्रमशः वर्णित रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में लाल व हरे रंग से दर्शित किया गया है। उक्त 15 फीट चौड़ा रास्ता अनावेदकगण संख्या 01 ता 13 अथवा 14 से आवेदकगण को व उसके परिवारजनों को आवागमन, वाहन, पशुधन आदि लाने ले जाने हेतु प्रदान कराया जावे तथा इनकी नियमानुसार राशि अनावेदक संख्या 01 ता 13 अथवा 14 को दिलवाने की कृपा करे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु अनावेदक संख्या 15 व 16 को आदेशित फरमाने की कृपा करे तथा अनावेदक संख्या 01 ता 13 अथवा 14 को आदेशित फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे तथा आवेदकगण व उसके परिवारजनों को उक्त रास्ते से आवागमन, वाहन, पशुधन आदि लाने ले जाने व उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा उक्त रास्ते को बंद नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible] नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 6, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 14की ओर से श्री राजकुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4, 7 ता 10, 13, 15, 16 बावजूद [illegible] सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 5 की जवाबदेही बंद की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

अप्रार्थी संख्या 6 की और से प्रारम्भि आपत्ति पेश की गयी। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/आवेदकगण हीरा वगैरह ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 व 3 में अपने खेत खसरा नम्बर 205 व 204 वाके ग्राम हरसावा छोटा में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 201/223 के मध्य में से होता हुआ खसरा नम्बर 205 की उतरी सीमा में प्रवेश करने का कथन किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 6 का खेत खसरा नम्बर 223 किस गांव में अवस्थित का कोई अंकन नही किया है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में रास्ता पहले से होने का अभिकथन कर रहे है और रास्ता को दिनांक 03.07.2018 को बंद कर रोकने का भी अभिकथन कर रहे है। आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन धारा 251 (क) आरटीएक्ट में दर्ज किये गये कथनो के आधार पर प्रकरण सुखाधिकार की श्रेणी में आता है और उक्त प्रकरण धारा 251 आरटीएक्ट का बनता है इसलिए उक्त प्रकरण की सुनवायी का अधिकार माननीय न्यायालय को नही होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

कानूनन मौके पर रास्ता नही होने पर ही प्रकरण की सुनवायी का अधिकार राजस्व न्यायालय के पास है लेकिन इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने आवेदन धारा 251 (क) आरटीएक्ट में कतई गलत विधि विरूद्ध बनावटी तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आशय से प्रस्तुत किया है जो आगे चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

धारा 251 (क) आरटीएक्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि रास्ता चाहने वाले व्यक्ति को कही भी व किसी भी दिशा से रास्ता नही लगता है और न ही कोई प्रचलित रास्ता है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन की मद संख्या 2 व 3 में अभिकथन किया है कि प्रार्थीगण के आने जाने का 15 फिट चौडा रास्ता चालू है जबकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है उपरोक्त प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन में दर्ज तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आरटीएक्ट के प्रावधानो में नही आने के कारण इसी स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदकगण द्वांरा चाहा गया अनुतोष परस्पर विरोधाभाषी है जो अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता।

अतः प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं० धारा 251 (क) आरटीएक्ट का कानूनन पोषणीय नही होने व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी संख्या 1, 6, 11, 12 की ओर से जवाब आवेदन प्राप्त हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण की है अथवा नही यह बिन्दू साबित का भार प्रार्थीगण पर है जिसे वे स्वयं साबित करें।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में खेत [illegible] 205 के पूर्व दिशा में ग्राम हरसावा से ग्राम रिणु जाने वाला रास्ता अवस्थित है जिस पर ग्रेवल स[illegible] की कथन सही है शेष कथन गलत है अतः अस्वीकार है, जबाब[illegible] /223 से कोई रास्ता नहीं गुजरता है, न ही कभी खसरा नम्बर 205 [illegible] मध्य से गये। उत्तरी सीमा से कटानी रास्ता था, ना ही कभी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के [illegible] है जो गलत संलग्न मानचित्र में खेत खसरा नम्बर 201/223 के मध्य से रास्ता चित्रण [illegible] है जो गलत है कभी भी खातेदार के खेत का बीचों बीच रास्ता नहीं दिया जाता है बल्कि ग्रेवल सड़क के जो लघुतम रास्ता पड़ता है वही रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है जबकि उत्तरदाता के खसरा नम्बर में से काफी अधिक दूरी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 गलत है अतः अस्वीकार है उतरदाता के खेत में उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे फिर पूर्वी सीमा के सहारे सहारे प्रचलित ग्रेवल सड़क रिणु जाती है जबकि प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता अप्रार्थीगण जबाबदातागण के खेत में से कभी भी नहीं रह है, ना ही 15 फीट का रास्ता मौजूद रहा है और ना ही प्रार्थीगण ने इस रास्ते से कभी कोई पशुधन, वाहन आदि ले गये है, उतरदातागण अपने खसरा नम्बर 196, 197, 201/223 में कुआ के पम्प सेट लगाकर कदीम से मकान व ढाणियों बनाकर खेत के चारों तरफ तारबंदी कर लोहे का गेट लगाकर आवास निवास कर रहे है प्रार्थीगण ने इस मद में मनगढगत रास्ता बताया है, रास्ते की सही स्थिति अतिरिक्त कथन में दी जा रही है। इसलिये प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 204 व 205 में कदमी से अपने पैतृक परिवार की जमीन खरसा नम्बर 137 व 138 से होकर आते जाते है। उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण के पश्चिमी दिशा से सटकर है उक्त खसरा नम्बर से हरसावा से अलखपुरा जाने का ग्रेवल सड़क है। उक्त ग्रेवल सड़क से खसरा नम्बर 137 व 138 से अपने खसरा नम्बर 204 व 205 ने आवागमन कदीम से कर रहे है जब रास्ता खसरा नम्बर 201/223 से चाहा है तो रास्ता बंद करने का सवाल ही नही है। बंद रास्ते को खुलवाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को ना होकर माननीय तहसीलदार फतेहपुर या फिर सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का है ऐसे विवाद तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है ऐसे समस्त विवाद धारा 251 आर. टी. एक्ट के तहत आते है जिनका सुनवाई करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार तहसीलदार फतेहपुर को प्राप्त है इसलिये प्रार्थना–पत्र सम्पूर्ण ही विधि विरुद्ध होने से और क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 में कायम खसरा नम्बर 204 व 205 के पूर्व में खसरा नम्बर 203 अवस्थित का कथन सही है जबकि उतरदाता के खसरा नम्बर 201/223 के मध्य में से कोई रास्ता नहीं जाता है जबकि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 204 व 205 के पूर्व सीमा से सटकर खसरा नम्बर 203 पूर्वी सीमा पर ग्रेवल सड़क से सबसे कम दूरी पर सुविधाजन है जिससे प्रार्थीगण जमीन कम से कम जायेगी।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 गलत है अतः अस्वीकार है प्रार्थीगण उतरदाता को प्रतिबंधित कराने के अधिकरी नहीं है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 गलत है अतः अस्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.07.2018 को रास्ता बंद करने का कथन किया है बंद रास्ते को खुलवाने व सुनवाई का अधिकार धारा 251 आर. टी. एक्ट में तहसीलदार फतेहपुर को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रार्थना–पत्र सम्पूर्ण ही विधि विरुद्ध होने से और क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 8 कानूनी है जबाब की मोहताज नहीं है।

अतिरिक्त कथन

वास्तविकता यह है कि मौके पर प्रार्थीगण की जमीनों के [illegible] ही सटकर खसरा नम्बर 137 व 138 की कृषि भूमियां खसरा [illegible] अलखपुरा ग्रेवल सडक जाती है जो उतर से दक्षिण जाती है उक्त ग्रेवल से प्रार्थीगण [illegible] व 138 में से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 204 व 205 में प्रवेश करते चले आ रहे है इसी रास्ते से ही प्रार्थीगण आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में लिया जा [illegible] है इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने हेतु दो वैकल्पिक रास्ते मौके पर मौजूद है तो प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण जबाबदाता की कृषि भूमियों को बर्बाद करने हेतु कोई नवीन रास्ता अप्रार्थीगण की जमीन में से कायम करवाने के कानूनी तौर पर अधिकारी नहीं है और उनका प्रार्थना–पत्र ही खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर निवेदन है क प्रार्थीगण का सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र निराधार व विधि विरुद्ध होने से विदकोस्ट खारिज करने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से जवाब आवेदन प्राप्त हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम हरसावा से रिणु का रास्ता कटाणी नहीं है तथा उक्त रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 201/223 में से गुजरता है तथा ख0 नं0 203 के मध्य से कोई रास्ता नहीं गुजरता है बल्कि खसरा नम्बर 203 की पूरवी तथा उत्तरी सींव के सहारे सहारे उक्त रास्ता जाता है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 205 की उत्तरी सीमा में प्रवेश करते हो बल्कि नहीं करता है तथा आवेदकगण का रास्ता आथूणी सींव की तरफ से खसरा नम्बर 138/1 व 138/2 की बीच की सींव से होता हुआ आगे अलखपुरा से छोटा हरसावा जाने वाली ग्रेवल सडक से है। उक्त रास्ते से ही आवेदकगण अपने खेत में आते जाते है।

उक्त रास्ता मौके पर 15 फूट चोड़ा हमेशा से मोजूद नहीं रहा है बल्कि उक्त तथाकथित रास्ता मौके पर कभी भी नहीं रहा यदि उक्त रास्ता होता तो आवेदकगण यह आवेदन 251ए में पेश नहीं करते। आवेदकगण का रास्ता उनके खेत ख0नं0 205 की पश्चिम सींव पर खसरा नम्बर 318/1 व 318/2 के मध्य से ग्राम हरसावा से अलखपुरा जाने वाले रास्ते से है जो हमेशा से है तथा आज भी चालु है। उसी रास्ते से आवेदकगण वर्तमान में आवागमन करते है तथा पशुधन तथा वाहन भी लाते ले जाते है। आवेदकगण द्वारा जो नक्शा में रास्ता दर्शित किया है। वह गलत नक्शा पेश किया है जो मौके के विपरीत है।

यह कहना गलत है कि आवेदकगण के पास अन्य कोई रास्ता नहीं हो बल्कि आवेदकगण का रास्ता खसरा नम्बर 205 की पश्चिम सींव पर खसरा नम्बर 318/1 व 318/2 के मध्य से 15 फूट का मोजूद है। जिसमे से ही आवेदकगण आवागमन करते है। यह कहना गलत है कि ग्राम हरसावा से रिणू का रास्ता आवेदकगण संख्या 14 के खेत ख0नं0 203 के मध्य में से हो बल्कि खसरा नम्बर 203 के उत्तरी व पूर्वी सींव के सहारे सहारे है।

अतिरिक्त कथन

आवेदकगण के खेत ख0नं0 205 में आवागमन का रास्ता ख0नं0 203/223 के मध्य में से होकर ख0नं0 205 की उत्तरी सीमा में प्रवेश करता है, उक्त रास्ते को सलंग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया है, उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से 15 फूट चौड़ा मौजूद रहा है। जिससे आवेदकगण अपनी भूमि में आवागमन, पशुधन वाहन आदि लाने ले जाने हेतु हमेशा से अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध, शान्तिपूर्वक तरिके से अपने उपयोग, उपभोग में लेते आये है तथा अन्य कोई रास्ता मौके पर मोजूद नहीं है तथा अनावेदक संख्या 1 से 13 ने उक्त रास्ते को 03.07.18 को बन्द कर दिया। बन्द रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया है तथा आवेदकगण ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटी एक्ट में प्रस्तुत किया है। 251ए आरटी एक्ट में नवीन रास्ता हेतु प्रावधान है। आवेदकगण ने बन्द रास्ता खुलवाने हेतु यह आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटी एक्ट में पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है, इस कारण यह आवेदन खारिज किये जाने [illegible]

जवाब दाता अनुसुचित जाति [illegible] आवेदकगण ताकतवर एवं पैसे वाले है। इस कारण ताकत, लाठी एवं पैसे [illegible] गलत कथनों के आधार पर जवाबदाता के खेत से रास्ता मांग रहे है जबकि आवेदकगण के पास पूर्व से ही रास्ता है। इस कारण भी आवेदन निराधार पेश किया गया है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदन मय हर्जा खर्चा 20,000/– रूपये सहित खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार फतेहपुर से जरिये पत्रांक2150 दिनांक 29.08.19 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसपर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 6, 11, 12 के अधिवक्तागण ने सहमति जाहिर की। उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 14 ने आपत्ति धारा 151 सीपीसी व आवेदन अन्तर्गत धारा 7 नियम 11सीपीसी पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

प्रार्थीगण के उपरोक्त आवेदन अपने खेत खसरा नम्बर 205 में आने जाने वाले रास्ते जो ख0नं0 201/223, ख0नं0 203 के मध्य से जाने वाले कटानी रास्ते से ख0नं0 201/123 की उत्तरी सीव पर कटाणी रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 201/223 के मध्य में से होता हुआ ख0नं0 205 की उत्तरी सीमा में प्रवेश करत है तथा प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत नक्शे में लाल हो से दर्शित किया है। तथा आगे कहा है कि उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से 15 फीट चोड़ा मौजूद रहा है. तथा आगे फिर कहा है कि आवेदकगण उक्त लाल रंग से दर्शित रास्ते से ही हमेशा अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर निर्वाध शांतिपूर्वक तरीके से आवगमन तथा उपयोग व उपयोग में लेते चले आये है। अर्थात आवेदकगण ने उक्त आवेदन विद्यमान रास्ता के सम्बन्ध प्रस्तुत किया है।

आवेदकाण मे अपने आवेदन की मद संख्या 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदकगण के खेत ख0नं0 204 एव ख0नं0 205 में आवागमन हेतु उक्त 15 चोडे रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। तथा उक्त रास्ता आवेदकगण संख्या । ता 13 से खेत ख0नं0 201/1223 के खातेदार द्वारा कतई विधि विरूद्ध व कतई गलत रूप से तथा बिना वैध अधिकार में उस रास्ते को लोक 3/7/18 को बंद कर दिया है, तथा आवेदकगण एवं उसके परिवार वालों को उक्त रास्ते से आवागमन करने से गलत रूप से रोक रहे हैं. तथा अनावेदक 1 ता 13 के द्वारा उक्त रास्ता बन्द किये जाने की सूरत में आवेदकगण अपने खेत में आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। तथा आगे कहा है कि ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता अनावेदक संख्या 1 ता 13 से अविलम्ब खुलवाया जाना न्यायोचित है। तथा आगे कहा है कि भविष्य में उक्त रास्ते के संबंध में कोई विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थना पत्र के सलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित रास्ते को कटाणी रास्ता के रूप में अंकन किये जाने की मांग की है।

आवेदन कि मद संख्या 2 लगायत 4 के कथनों में यह स्पष्ट रूप से आया है कि आवेदकगण ने यह आवेदन चालू रास्ता को खुलवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। किन्तु विद्यमान रास्ता के संबंध में विवाद हेतु प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में प्रावधान किया गया है तथा रास्ते के उपयोग में बाधित किया जाता है, उसका पीड़ित व्यक्ति तहसीलदार के समक्ष आवेदन देगा अर्थात आवेदकगण का मामला विद्यमान रास्ते में बाधा के संबंध में होने से उक्त विधमान रास्ता जो आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है, के संबंध में कार्यवाही धारा 251 आरटी ए के अन्तर्गत सक्षम तहसीलदार के समक्ष होगी। इस कारण उक्त विधमान रास्ते के संबंध में विवाद होने से यह आवेदन की सुनवाई की अधिकारिता माननी[illegible] नहीं है, इस कारण भी आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन कानूनन चलने योग्य नहीं है तथा [illegible] नहीं किया गया है इस कारण भी आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदकगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटी एक्ट को खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं. धारा 151 सीपीसी व आवेदन अन्तर्गत धारा 7 नियम 11सीपीसी का प्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन केवल विधमान चालू रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नही किया है बल्कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि ख0न0 204 व 205 की उत्तरी पूर्वी कॉर्नर से 15 फीट चौडा रास्ता वैकल्पिक तौर पर ख0न0 203 में से भी लेने को तैयार है क्योकि उक्त वैकल्पिक रास्ता भी प्रार्थीगण के खेत ख0न0 204 व 205 के काफी निकट है तथा प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक भी रहेगा। इसलिए उक्त नया वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 251 ए के तहत ही दिलवाया जा सकता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित रास्ते को खुलवाने की सहायता नही चाही है बल्कि उक्त रास्ता उसके खातेदारो से दिलवाये जाने की सहायता चाही है। जो प्रार्थीगण को धारा 251 ए के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा ही दिलवायी जा सकती है। तहसीलदार महोदय फतेहपुर के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में उक्त रास्ते के सम्बन्ध में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 29.08.19 माननीय न्यायालय में पेश हुयी है उसमें भी तहसीलदार महोदय के द्वारा यह माना है कि प्रार्थी का कदमी रूप से ख०न0 201 में आवागमन रहा है, प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा ओर कोई रास्ता विधमान नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है। जिससे भी यह भली भाती प्रमाणित है कि प्रार्थीगण का मामला रा०का०अधि० की धारा 251 (एक) के प्रावधानो में नहीं आता तथा उक्त प्रकरण की सुनवायी का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अनावेदक संख्या 14 निस्स्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत करना स्वीकार है किन्तु इस मद में वर्णित शेष कथन अधूरे होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का मामला धारा 251 ए के परिधी में आता है क्योकि प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण के खेत ख0न0 204 व 205 के पूर्व दिशा में ग्राम हरसावा से रिणू जाने वाला कटाणी रास्ता अवस्थित है जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुयी है तथा प्रार्थीगण ने उक्त कटाणी रास्ते से भूमी ख0न0 201/223 में से होकर अपने खेत ख0न0 205 की उत्तरी सींव तक 15 फीट चौडा रास्ता जिसे नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है अथवा विकल्प के तौर पर उक्त कटाणी रास्ते से भूमी ख0न0 203 में से होकर प्रार्थीगण के खेत ख0न0 205 की पूर्वी सींव तक 15 फीट चौडा रास्ता जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शित किया है को अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने की सहायता चाही है जो कानूनन धारा 251 ए रा०का० अधि० के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा ही दिलवायी जा सकती है। प्रार्थना पत्र अनावेदक खारिज किये जाने योग्य है।

धारा 251 ए रा0का0 अधि० के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष केवल आवेदन प्रस्तुत होता है न की वाद पत्र इसलि[illegible] में वाद कारण अंकित करना कानूनन आवश्यक नही होता है तथा न ही धारा 251 ए के तहत आवेद[illegible] हेतु किसी वाद कारण की आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र अनावे[illegible] है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवेदन पूर्णतया धारा 251 ए रा0का0 अधि० [illegible] के कारण कानूनन चलने योग्य है जिसका क्षवणाधिकार व श्रेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अनावेदक खारिज किये जाने योग्य है। अनावेदक अप[illegible]ार्थना पत्र/आवेदन में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र अनावेदक खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

अतिरिक्त कथन

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० के प्रावधानो में नही आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अनावेदक कानूनन मेण्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के प्रावधान केवल वाद पत्र पर लागू होते हैं। इसलिए भी प्रार्थना पत्र अनावेदक खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश से तहसीलदार महोदय फतेहपुर की प्रश्नगत रास्ते के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अनावेदक संख्या 14 अन्य अनावेदकगण से मिला हुआ है तथा वह येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिलवाने से वंचित करना व प्रकरण को अनावश्यक रूप से देरीना करना चाहता है तथा इसी गलत उदेश्य से अनावेदक संख्या 14 ने अन्य अनावेदकगण से साज करके यह निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

अनावेदक ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने व खर्चे से जेरबार करने के लिए प्रस्तुत किया है जो मय विशेष हर्जा 20,000/– रूपये खारिज किये जाने योग्य है।

इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अनावेदक संख्या 14 मय विशेष हर्जा 20,000/– रूपये खारिज फरमाने की कृपा करे तथा विशेष हर्जा 20,000/– रूपये अनावेदक संख्या 14 से प्रार्थीगण/आवेदकगण को दिलवाने की कृपा करे।

अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं. धारा 151 सीपीसी व आवेदन अन्तर्गत धारा 7 नियम 11सीपीसी पर बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं. धारा 151 सीपीसी व आवेदन अन्तर्गत धारा 7 नियम 11सीपीसी खारिज किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार फतेहपुर से मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट पुनः तलब की गयी। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी।

बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया गया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांकित 2574 दिनांक 27.12.2021 का अवलोकन किया गया। उक्त के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये नवीन रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे छोटा व कम दूरी का है।

रास्तों के मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क में यह व्यवस्था दी गई है कि–

कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो [illegible] अभिधारी या, यथास्थित, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को [illegible] सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात समाधान हो जाता है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह [illegible] के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शाया जाये, और यदि ऐसा दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग तो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

जहाँ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

हमने पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर दिनांकित 27.12.2021 प्रार्थीया को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 14 ने आपत्ति प्रस्तुत की। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र का वकील प्रार्थीगण जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधार नहीं होने के कारण खारिज किया गया।

अतः प्रार्थीया की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थीया को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है।

परिणामतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई
1	203	2.33है0	बारानी 3	15 फुट

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट व आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया 15 फूट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (1) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर [illegible] होगी। इसी प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी [illegible] प्रार्थी के आवेदन आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अ[illegible] की गंभीरता एवं आत्यंतिक आवश्यकता को मध्[illegible] फर्द मौका 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदा[illegible] रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 27.12.2021 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से [illegible]या गया 15 फूट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की राशि की गणना नहीं की जावे।
2. प्रार्थी द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जावेगा। जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि के बराबर होगी।
3. प्रार्थी नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 15 फुट चौड़े रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।
5. प्रार्थी को उक्त 15 फुट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 15 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:55 IST
Reason: SelfAttested